



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271343
CG-DL-E-27032026-271343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948

No. 200]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सा.का.नि. 216(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06 /2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जिसे सा.का.नि. 205 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के पृष्ठ संख्या 4 पर,-

पंक्ति 21 में, कॉलम (4) में, '18.5' के स्थान पर '12' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 27th March, 2026

G.S.R. 217(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E) dated the 26th March, 2026, at Page 5, -

in line 17, in column (4), *for* '18.5', *read* '12'.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सा.का.नि. 218(अ)—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11 /2026- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जिसे सा.का.नि. 210(अ) दिनांक 26 मार्च, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के पृष्ठ संख्या 11 पर, पंक्ति 7 में, कॉलम (4) में, '3' के स्थान पर '9.5' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th March, 2026

G.S.R. 219(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E) dated the 26th March, 2026, at Page 11, -

in line 31, in column (4), *for* '3', *read* '9.5'.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.